न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 55 / 2018 जिला दौसा

1. कैलाश
2. जगनराम
   पुत्रान नानगराम
3. भरतलाल
4. हंसराज
5. रामचरण
6. मुकेश
7. सतीश
8. दिनेश
   पि. हरफूल
9. मु. जगनी पत्नी हरफूल
   समस्त जाति गूर्जर, निवासी ग्रम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. खेमराज पुत्र टीपू लाल , जाति गूर्जर, निवासी डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज.)
2. तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 24.7.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री मनीष पारीक

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 21.10.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 24.7.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अपीलान्ट ने पृथक पृथक तीन प्रार्थना पत्र तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा को प्रस्तुत किये कि उसकी खातेदारी भूमि ग्रम डिगो में खसरा नम्बर 1014 / 395 में 2 बीघा, 1031 / 395 रकबा 2 बीघा एवं 1012 / 395 रकबा 2 बीघा है जिस पर वह काश्त कर रहा है और पूर्व से ही कब्जा है परन्तु नक्शे में उसकी तरमीम नहीं हो रही है । खातेदारी भूमि में किसी भी न्यायालय का स्थगन ओई वाद विचाराधीन है । अतः उसके खेत की तरमीम करने के आदेश देने की कृपा करें । उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ने आदेश क्रमांकः भू.अ. / 16 / 3486 ,

3487, 3485 दिनांक 27.10.2016 द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को नियमानुसार तरमीम कार्यवाही कर पालना रिपार्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये ।

तहसीलदार लालसोट के उक्त आदेश दिनांक 27.10.2016 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट खेमराज द्वारा न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.7.2018 पारित किया कि " अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1992 की पालना में खोले गये नामांतरकरण संख्या 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकितानुसार आवंटित भूमि की पूर्व में तरमीम की जा चुकी है । इसलिए पुनः अन्य स्थान पर तरमीम किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट के प्रश्नगत आदेश कमांकः 3485, 3486, 3487 दिनांक 27.10.2016 एव इनकी पालना में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाता है कि अप्रार्थीगण को भूमि आवटंन आदेश दिनांक 8.6.1992 की पालना में खोले गये नामांतरकरण संख्या 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार आवंटित भूमि की तरमीम करवायी जाना सुनिश्चित करें ।"

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.7.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार कने एवं अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी कीगई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो क्षेत्राधिकार विहीन होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1012/395, 1013/395, 1014/395 थी जिनका पूर्व में खसरा नम्बर 395 था तथा रेस्पोंडेन्ट का खसरा नम्बर 404 था । इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट का अपीलान्ट्स की भूमि से कोई सरोकार व वास्ता नहीं है । तरमीम के आदेश को केवल खसरा नम्बर 395 के खातदोर ही चुनौती दे सकते हैं रेस्पोंडेन्ट को उक्त तरमीम आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दू पर गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट विवादित भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें वाद प्रस्तुत करना चाहिये । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 395 में अपीलान्ट्स के पिता को गलत रूप से

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये गये आवंटन मे आवंटित भूमि का कब्जा जिस जगह का दिया गया उस जगह को छोडकर अपीलान्ट् संख्या 1 लगायत 9 द्वारा रेस्पोंडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 404 के भू भाग को अतिक्रमण करके हडपने की गरज से उसके पास तरमीम करवाली । अपीलान्ट्स द्वारा नक्शे में गलत जगह तरमीम करवाने से रेस्पोंडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 404 में आवागमन का वर्षों से चला आ रहा रास्ता बन्द हो गया है । अपीलान्ट्स का रेस्पोंडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 404 के पास वाले भू भाग पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा । खसरा नम्बर 404 के रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि को रेस्पोंडेन्ट द्वारा समतल एवं कृषि योग्य बनाकर खेती की जा रही है तथा बोरिंग करकर विद्युत कनैक्शन लिया हुआ है । खसरा नम्बर 395 गहरे नले है । तहसीलदार ने रेस्पोंडेन्ट को बिना सुने व मौके की जॉच किये बिना ही तरमीम के आदेश देकर तरमीम करवादी । अपीलान्ट्स की भूमि की तरमीम पूर्व में नक्शासीट में की जा चुकी थी तो पुनः गलत स्थान पर तरमीम कराने के लिये अपीलान्ट्स विधिक रूप से अधिकृत नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट्स को आवंटित भूमि की पूर्व में तरमीम हो जाने से पुनः अन्य स्थान पर तरमीम किये जाने का कोई औचित्य नहीं मानते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट का प्रश्नगत आदेश निरस्त कर प्रकरण उन्हें रिमाण्ड किया गया कि अपीलान्ट्स को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1992 की पालना में खोले गये नामातरकरण संख्या 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार आवंटित भूमि की तरमीम करवायी जाना सुनिश्चित करें । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की तरमीम के संबंध में विवाद है । अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्रों पर उनकी खातेदारी भूमि ग्रम डिगो तहसील लालसोट, जिला दौसा के खसरा नम्बर 1014/395 रकबा 2 बीघा, 1013/395 रकबा 2 बीघा, 1012/395 रकबा 2 बीघा की तरमीम के तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27.10.2016 पारित किये थे । ग्रम डिगो की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के अनुसार रेस्पोंडेन्ट खेमराज खसरा नम्बर 404 रकबा 4.10 हैक्टेयर का खातेदार है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स ने आवंटित भूमि की जगह को छोडकर उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर अपीलान्ट ने तरमीम कराली है जबकि अपीलान्ट की भूमि की तरमीम पूर्व में हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.7.2018 से रेस्पोंडेन्ट की अपील में आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1992 की पालना में खोले गये नामांतरकरण संख्या 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकितानुसार आवंटित भूमि की पूर्व में तरमीम होने से पुनः अन्य स्थान पर तरमीम किये जाने का कोई औचित्य नहीं होना मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट के प्रश्नगत आदेश क्रमांकः 3485, 3486, 3487 दिनांक 27.10.2016 एवं इनकी पालना में की

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गई तरमीम को निरस्त किया है तथा प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया कि अप्रार्थीगण को भूमि आवटंन आदेश दिनांक 8.6.1992 की पालना में खोले गये नामांतरकरण संख्या 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार आवंटित भूमि की तरमीम करवायी जाना सुनिश्चित करें । हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स आवंटित भूमि के नामांतरकरणो की पुस्त पर अंकित नक्शे के अनुसर आवंटित भूमि की विधिक रूप से तरमीम कराने के अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश भी इसी परिपेक्ष्य में है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 24.7.2018 उचित एवं विधिक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर